177

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किल कोर्ट
रीवा (म.प्र.) R. 5231-दो/15

101-

R 5231-II/15

1- मणिलाल कुशवाहा तनय श्री भुवनेश्वर प्रसाद उम्र 53 वर्ष पेशा- मजदूरी

2- ज्ञानचन्द्र कुशवाहा तनय भुवनेश्वर प्रसाद कुशवाहा उम्र 50 वर्ष-पेशा-मजदूरी

3- राजेश कुशवाहा तनय भुवनेश्वर प्रसाद कुशवाहा उम्र 40 वर्ष पेशा- मजदूरी

सभी निवासी ग्राम पिपरी टोला पोस्ट आफिस पगार तहसील बिरसिंगपुर थाना सभापुर जिला सतना (म.प्र.)

..................अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1- रामसुरेश शर्मा तनय रामस्वरूप शर्मा, निवासी ग्राम पिपरी टोला पोस्ट आफिस पगार तहसील बिरसिंगपुर थाना सभापुर जिला सतना (म.प्र.)

2- शासन म.प्र.

............रेस्पाण्डेण्टगण

श्री. ... एड द्वारा आज दिनांक ...15... को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश आयुक्त रीवा संभाग रीवा अपील प्र.क्र. 10/ अपील /15-16 आदेश दिनांक 26.10.2015 ... निगरानी

मान्यवर,

प्रकरण का सूक्ष्म विवरण निम्नलिखित हैं :-

1- यह कि ग्राम पिपरी टोला तहसील विरसिंहपुर जिला सतना की भूमि नं. 363 कुल रकवा 15.49एकड़ है जिसमें 5.00एकड़ भूमि आबादी है, शेष भूमि शासन म.प्र. दर्ज है। 5.00एकड़ भूमि में ग्राम पिपरी टोला वार्ड क. 8 निर्मित है, तथा उसमें

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R: 5281/I/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	यशोदाबाई कार्यवाही तथा आदेश राम कुरैशी	प्रक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16.	यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 26.10.15 प्र०क्र० 10/अपील/15-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री गजराज सिंह उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया। निगरानी मेमो. में अंकित तथ्यों के संदर्भ में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों की प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि तह० न्यायालय कोठीहा पुर रीवा के प्र०क्र० 60/अ-74/13-14 में नायब तह० द्वारा दिनांक 14-8-14 को भूमि क्र० 363 जो म०प्र० शासन दर्ज थी पर (शास० प्रा०शाला एवं खेल का मैदान) बनाने हेतु भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव अनु० अधि० को भेजा गया। अनु० अधि० द्वारा तह० न्याया के प्रकरण क्र० 60/अ-74/13-14 पर ही अपने न्याया० का दायरा क्र० 5/अ-19/13-14 दर्ज कर आदेश दिनांक 29-4-14 से अतिक्रमण हटाया जाने के आदेश दिए जाकर विद्यालय हेतु भूमि आवंटित किए जाने हेतु प्रकरण कले० को भेजा गया। कलेक्टर द्वारा उसी आदेश पत्रिका जो तह० द्वारा SDO को भेजी गई थी तथा S.D.O द्वारा कलेक्टर को भेजी गई थी पर ही अपने आदेश दिनांक 3-5.14 से यह निर्देश देते हुए कि 1. विधिवत उद्घोषणा जारी करें (2) नियमानुसार	

R. 5231/15 (सतना)

स्थान तथा दिनांक	भोपाल कार्यवाही तथा आदेश (निरन्तर)	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। (3) प्रकरण को आवश्यक पूर्ति पश्चात् भिजवाने के निर्देशों के साथ प्रकरण मूलतः अनुविभागीय अधिकारी को वापस किया गया। कलेक्टर के इस अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई जहां अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 26-10-15 से अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील ग्राह्य योग्य न होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त कर दी गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश दिनांक 26.10.15 के विरुद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में मेरे द्वारा अधी० न्यायालय के अभिलेखों एवं आदेशों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि कलेक्टर का अधी०-न्याय० के समक्ष प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 3-5-14 एक अंतरिम आदेश था जो विहित प्रक्रियाओं की पूर्ति हेतु SDO को निर्देश देने से संबंधित था अंतिम नहीं था। इस संबंध में भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील नहीं हो सकती स्पष्ट प्रावधान है कि अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील नहीं निगरानी हो सकती है। किन्तु आवेदकगण द्वारा निगरानी योग्य आदेश के विरुद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई जो विधिविरुद्ध थी जिसे निरस्त करने में एवं अपर आयुक्त द्वारा अग्राह्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र०द०र०हो (signature) सदस्य	

मालेमुद्रण—355—फॉर्म I—3-2-16—30,000 प्रपत्र.